

॥ कार्यालय कलेक्टर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) ॥

:::आदेश :::

कमांक / २५७ / विलिप्र / २०२४

दुर्ग, दिनांक १०/०१/२०२४

श्री विपुल गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर, श्री प्रवीण कुमार वर्मा संयुक्त कलेक्टर एवं श्री जागेश्वर कौशल, डिप्टी कलेक्टर जिला दुर्ग स्थानांतरण होने के फलस्वरूप जिला कार्यालय दुर्ग हेतु पूर्व में जारी संयुक्त/डिप्टी कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन आदेशों को अधिकमित करते हुये प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला कार्यालय दुर्ग के अंतर्गत पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम/पदनाम	सौंपे गये कार्यों का विवरण	
1	2	3	
1	श्री विनय कुमार सोनी संयुक्त कलेक्टर (रा.प्र.से.-२०१५)	01	धमधा अनुभाग के अंतर्गत धमधा तहसील हेतु अनुविभागीय अधिकारी(रा)
		02	धमधा अनुभाग के अंतर्गत धमधा तहसील हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी
		1.	शू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण ।
		2.	छ०ग० लोक न्यास अधिनियम १९५१ के तहत पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता
		3.	कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण
		4.	लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही
		5.	पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण ।
		6.	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये, अन्य कार्य ।
2	श्री मुकेश रावटे संयुक्त कलेक्टर (रा.प्र.से.-२०१५)	01	दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत दुर्ग तहसील हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
		1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग (ग्रामीण) दुर्ग ग्रामीण के अंतर्गत थाना उत्तर्/अण्डा क्षेत्र के द.प्र.सं. की धारा १०७/११६, १५१, १०९, ११०, १४५, ९७, ९८, १३३ के तहत दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना ।
		2.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग (शहर) दुर्ग शहर के अंतर्गत थाना दुर्ग, मोहन नगर, पुलगांव एवं जी.आर.पी. दुर्ग क्षेत्र के द.प्र.सं. की धारा १०७/११६, १५१, १०९, ११०, १४५, ९७, ९८, १३३ के तहत दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना ।
		3.	छ०ग० लोक न्यास अधिनियम १९५१ की धारा ३४(क) के तहत पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता । (दुर्ग अनुभाग हेतु)
		4.	कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण (दुर्ग अनुभाग हेतु)
		5.	लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही (दुर्ग अनुभाग हेतु)
		6..	पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण । (दुर्ग अनुभाग हेतु)
		7	पदेन सचिव, रविशंकर स्टेडियम / मानस भवन, दुर्ग
		8	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये, अन्य कार्य ।

५

क.	अधिकारी का नाम/पदनाम	सौंपे गये कार्यों का विवरण	
1	2	3	
3	श्री दीपक कुमार निकुंज संयुक्त कलेक्टर (रा.प्र.से.-2016)	01	पाटन अनुभाग के अंतर्गत पाटन तहसील हेतु अनुविभागीय अधिकारी(रा)
		02	पाटन अनुभाग के अंतर्गत पाटन तहसील हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी
		1.	भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण ।
		2.	छ0ग0 लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता
		3.	कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण
		4.	लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही
		5.	पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण ।
		6	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये, अन्य कार्य
4	श्री हरवंश सिंह मिरी संयुक्त कलेक्टर, (रा.प्र.से.-2016)	प्रभारी अधिकारी	
		1	लायसेस शाखा
		2.	सिविल सूट, व्यवहारवाद शाखा
		3	प्रोटोकाल शाखा
		4	सहायक अधीक्षक, सामान्य शाखा
		5	सांख्यिकी लिपिक शाखा
		6	नोडल अधिकारी, मानव अधिकार आयोग से प्राप्त प्रकरण
		7	नजूल एवं नजूल जांच शाखा
		8	भू-आबंटन शाखा / नागरिकता प्रमाण पत्र / प्रमाण पत्र व शपथ पत्र सत्यापन
		9	भू-अभिलेख शाखा एवं डायवर्सन शाखा
		10	मुख्यमंत्री घोषणा शाखा
		11	चिटफंड कंपनी के प्राप्त आवेदनों के निराकरण
		12	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व
5	श्री महेश सिंह राजपूत, डिप्टी कलेक्टर (रा.प्र.से.-2018)	01	अनुभाग भिलाई-3 हेतु अनुविभागीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत सम्मिलित थानों के द.प्र. सं. की धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना।
		02	अनुभाग भिलाई-3 हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
		1.	अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर राजस्व प्रकरणों का निराकरण ।
		2.	अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत छ0ग0 लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34(क) के तहत पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता ।
		3.	अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण ।
		4.	अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही
		5.	अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण ।
		6.	अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण ।

कं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	सौंपे गये कार्यों का विवरण	
1	2	3	
5	श्री महेश सिंह राजपूत, डिप्टी कलेक्टर (रा.प्र.से.-2018)		प्रभारी अधिकारी
		1	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)
		2.	अधीक्षक / वित्त स्थापना शाखा एवं पेंशन नोडल अधिकारी
		3.	जिला नाजरात शाखा
		4.	परिसीमन (पंचायत एवं नगरीय निकाय)
		5.	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व
6	श्री लवकेश धुव डिप्टी कलेक्टर (रा.प्र.से.-2019)	1	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, भिलाई नगर भिलाई नगर के अंतर्गत थाना भिलाई नगर, भिलाई भट्टी, नेवई क्षेत्र के द प्र.सं. कर धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना ।
		2	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, छावनी छावनी के अंतर्गत थाना छावनी, सुपेला, खुर्सीपार, जामुल, क्षेत्र के द.प्र. सं. कर धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना ।
		3	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व
			प्रभारी अधिकारी
		1	प्रस्तुतकार शाखा
		2	राजस्व अभिलेखागार / आंग्ल अभिलेखागार शाखा
		3	पी.जी. पोर्टल शाखा / लोक सुराज अभियान/पी.जी.एन. एवं शासन से प्राप्त शिकायत आवेदन पत्रों का निराकरण
		4	शिकायत एवं सर्तकता अधिकारी/जिला जनदर्शन शाखा
		5	वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जिला वेबसाईट दुर्ग
		6	चिप्स परियोजना/च्चाईस सेंटर शाखा / स्वान परियोजन / वीडियो कान्फेसिंग प्रणाली का संचालन
		7	शासन /आयुक्त /विडियो कांफेसिंग एवं जिला कार्यालय में आयोजित विभिन्न बैठकों की आवश्यक व्यवस्था, फाईल फोल्डर, कार्यवाही विवरण तैयार करना आदि संबंधी कार्य
		8	नोडल अधिकारी, DMF शाखा
		9	नोडल अधिकारी, व्यापम एवं परीक्षा प्रभारी, परीक्षा शाखा
		10	नोडल अधिकारी, इंग्लिश मीडियम स्कूल
		11	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व

कं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	सौंपे गये कार्यों का विवरण
1	2	3
7	श्री उत्तम कुमार ध्रुव डिप्टी कलेक्टर (परिवीक्षाधीन)	प्रभारी अधिकारी
		1 आवास आबंटन शाखा
		2 स्वेच्छानुदान एवं जनसंपर्क शाखा
		3 बाढ़ राहत, राहत एवं पुर्नवास शाखा, सूखा राहत शाखा
		4 सहायक अधीक्षक, राजस्व/राजस्व लेखापाल/राजस्व मोहरिर शाखा
		5 मुख्यमंत्री सहायता/संजीवनी कोष शाखा
		6 मुख्य प्रतिलिपि शाखा
		7 प्रपत्र एवं लेखन सामाग्री/लायब्रेरी शाखा
		8 प्रेषक शाखा / मुद्रलेखन शाखा
		9 जिला दुर्ग स्थित विभिन्न विभाग/कार्यालयों का प्रशिक्षण
		10 नोडल अधिकारी, सेवोत्तम अभियान जिला दुर्ग
		11 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व

जिला कार्यालय, दुर्ग के अंतर्गत पदस्थ संयुक्त/डिप्टी कलेक्टरों के नाम के समक्ष दर्शाये अनुसार निम्नानुसार लिंक अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है:-

कं.	अधिकारी का नाम	लिंक अधिकारी का नाम
1	श्री हरवंश सिंह मिरी, संयुक्त कलेक्टर, दुर्ग	श्री लवकेश ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग
2	श्री महेश सिंह राजपूत, डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग	श्री हरवंश सिंह मिरी, संयुक्त कलेक्टर, दुर्ग
3	श्री लवकेश ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग	श्री महेश सिंह राजपूत, डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग
4	श्री उत्तम कुमार ध्रुव, (परि.) डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग	श्री लवकेश ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग

पृ.क्रमांक / 247 / विलिप्र / 2024

प्रतिलिपि :-

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग., पुरा डी.के.एस.भवन, पुराना मंत्रालय परिसर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- आयुक्त, दुर्ग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- सर्व अपर कलेक्टर, जिला दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
- आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग/भिलाई/रिसाली/भिलाई-3 चरोदा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी अधिकारी (सर्व) जिला कार्यालय दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा) दुर्ग/धमधा/पाटन/भिलाई-3 को सूचनार्थ प्रेषित।
- जिला कोषालय अधिकारी, जिला दुर्ग, को सूचनार्थ प्रेषित।
- सर्व संबंधित संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- तहसीलदार, दुर्ग/धमधा/पाटन/बोरी/भिलाई-3/अहिवारा को सूचनार्थ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग/धमधा/पाटन को सूचनार्थ।
- अधीक्षक, जिला कार्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ।
- स्टेनो-टू-कलेक्टर, जिला कार्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ।
- वित्त लिपिक-2, जिला कार्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दुर्ग, दिनांक 10/01/2024

कलेक्टर
दुर्ग